प्रकरण सं०

श्री Smt. अगदी व अन्य बनाम श्री Smt. देउ व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	प्र. सं. 176/12 (Online No. 2012/00070)	
17/6/2022	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। प्रा.पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जा.दी. पर बहस सुनी गई। प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. व धारा 151 जा.दी. को स्वीकार किया जाता है। वादीगण के वाद को नामंजूर किया जाता है। पत्रावली फैसल शुदा होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] **सहायक कलक्टर** **भीलवाड़ा**	

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी,ओम प्रभा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 106/2012 राजस्व वाद

1– श्रीमति अणछी पत्नी नानु बोला निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
2– श्री नारायण पिता नानु बोला निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
3– श्री उदयलाल पिता नानु बोला निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
4– श्री कालू पिता नानु बोला निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
5– श्रीमति कैलाशी पिता नानु बोला निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
6– संतोषी पिता नानु बोला निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
7– पारसी पिता नानु बोला निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
8– मंजू पिता नानु बोला निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।

––वादीगण

बनाम

1– श्रीमति देउ पत्नि लक्ष्मण बलाई (मृतक के बजाय)
1/1–लक्ष्मण पिता गोकल बलाई निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
1/2–मांगीलाल पुत्र लक्ष्मण बलाई निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
2– अमरा पिता चोखा रेगर (बोला) निवासी मरमी तहसील राशमी जिला चितोडगढ
3– हरिशंकर पिता गणपतलाल पंवार(भांबी) निवासी आजादनगर भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा।
4– धापु पत्नी गंगा बोला निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
5– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

––प्रतिवादीगण

वाद बाबत इन्द्राज दुरूस्ती व घोषणा में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07नियम 11 व धारा 151 जा0 दी0 के निर्णय हेतु

उपस्थितः–
1– श्री श्यामलाल आगाल–अधिवक्ता वादीगण उपस्थित
2– श्री अमित कोठारी ,अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या–1 उपस्थित
3– शिवसिंह चारण अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या–2 अनुपस्थित
4– राकेश जैन अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या–4 अनुपस्थित

:: निर्णय ::

दिनांक 17.06.2022

प्रतिवादी संख्या 01 उनके अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने यह वाद बाबत इन्द्राज दुरूस्ती एवं घोषणा का इस अमर का पेश किया कि साबिक आराजी संख्या 3442/1 रकबा 02 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम पुर तहसील व जिला भील़वाडा को वादीगण के पूर्वज तारू पुत्र श्री रोडा रेगर द्वारा रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 23.02.1973 को मोखम सिंह पुत्र तख्त सिंह नैनावटी से कय की है तथा वादीगण द्वारा अपने वाद के अन्तर्गत यह वर्णित किया कि उक्त रजिस्टर्ड विकय पत्र के अन्तर्गत साबिक आराजी संख्या 3442/2 गलत अंकित हो गया है जबकि 3442/1 अंकित होना चाहिए तथा 3442/1 के वर्तमान आराजी संख्या 5575, 5576, 5578 होना बताया है इस प्रकार वादीगण ने उक्त नवीन नम्बरान की आराजियात के बाबत इन्द्राज दुरूस्ती एवं घोषणा का वाद प्रस्तुत किया है। वादीगण के पूर्वज तारू पुत्र श्री रोडा रेगर (बोला) ने विवादित आराजियात के बिकाव नामा दिनांकित 23.02.1973 के आधार पर अपना नाम दर्ज कराने हेतु एक वाद श्रीमान सेटलमेन्ट आफिसर भीलवाडा में प्रस्तुत किया जो प्रकरण संख्या 4107/1973 दर्ज हो दिनांक 1.6. 1973 को स्वीकार कर आराजी संख्या 5583 वादीगण के पूर्वज तारू पुत्र रोडा रेगर के नाम दर्ज की गई। विवादित आराजी के बाबत जब पूर्व में ही वादीगण द्वारा सक्षम अधिकारी के समक्ष वाद प्रस्तुत कर अपने नाम दर्ज करा दिया तो फिर उसी आराजियात बाबत अब यह वाद प्रस्तुत करना किसी कदर पोषणीय नही हो आदेश 07 नियम 11 के तहत बार्ड बाई लॉ होने से काबिल निरस्तगी के है।

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

वाद में वर्णित नवीन आराजी संख्या 5575, 5576, 5578 में वादीगण द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 14.12.2011 को प्रतिफल राशि प्राप्त कर अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा बालकृष्ण पुत्र मोतीलाल खोईवाल को विक्रय कर दिया है। उक्त आराजियात में वादीगण का कोई हक व हिस्सा नही है। इस आधार पर वादीगण रूल ऑफ स्टोप्ल के सिद्धान्त के आधार पर यह वाद लाने से बाधित है। कानुन का यह प्रतिपादित सिद्धान्त है कि विवादित आराजियात के बाबत जब वादीगण के पूर्वज द्वारा पूर्व में ही वाद प्रस्तुत कर अपने नाम पर दर्ज किये जाने हेतु सक्षम अधिकारी का आदेश पारित हो चुका है तो फिर उसी बाबत यह वाद कानुन प्रस्तुत नही किया जा सकता है इस प्रकार वादीगण द्वारा यह वाद रेस्टज्युडिकेटा के सिद्धान्त से बाधित हो वादीगण का वाद काबिल निरस्तगी के है। वादीगण का वाद प्रथम दृष्टया ही बार्ड बाई लॉ होने तथा रेस्टज्यूडिकेटा के सिद्धान्त पर बाधित होने से चलने योग्य नही है। प्रार्थी प्रतिवादी संख्या 01 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादीगण का वादपत्र खारिज किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 01 की और से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 का वादी की और जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया है कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 01 का जवाब है कि आराजी नम्बर 3442/2 के बजाय 3442/1 अंकित होना सही बताया है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 02 का जवाब है कि हाल आराजी संख्या 5583 मात्र रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा बनाया गया था जो 3442/1 से बनाया गया था आराजी सं0 3442/1 पहले 3 बीघा 15 बिस्वा भूमि थी यह भूमि 1 बीघा 11 बिस्वा सेवन से दर्ज हुई व आराजी संख्या 3442/2 पहले 4 बीघा थी जो आराजी संख्या 3442/1 की भूमि इस खाते व रकबे में मिला दी थी इस कारण 04 बीघा के बजाय 06 बीघा 01 बिस्वा हो गई मोखम सिंह आराजी संख्या 3442/1 का खातेदार था, वादीगण के पूर्वजो ने 2 बीघा 12 बिस्वा भूमि मोखम सिंह से खरीदी थी व 1 बीघा 3 बिस्वा भूमि चिराग अली ने खरीदी थी, 3442/1 व 3442/2 दोनो भूमि अलग अलग थी अलग अलग खाते थे व अलग अलग खातेदार थे परन्तु सेटलमेन्ट में 3442/2 का रकबा अवैधतौर पर बढा दिया गया प्रतिवादी नं0 01 ने सादीक नपती का 4 बीघा का 1/3 हिस्सा खरीदा था जो सादीक नाप से 1/3 हिस्सा 1 बीघा 3 बिस्वा होती है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 का जवाब है कि आराजी संख्या 5583 अलग है जो 3442/1 का है व सेटलमेन्ट की कार्यवाही सेटलमेन्ट ऑफिसर के यहा होती है वो वाद नही होता है ना माना जा सकता है । प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 04 का जवाब है कि आराजी संख्या 3442/2, 4 बीघा थी उसमें से अपना हिस्सा 1/3 ही विक्रय किया गया था कोई भी व्यक्ति का जितना अधिकार स्वत्व होता है उतना ही विक्रय कर सकता है कुल हिस्सा 04 बीघा का था उसमें से 1/3 हिस्सा ही विक्रय हुआ है फिर ज्यादा कैसे दे सकते है यह काबिले घोर है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 05 का जवाब है कि कतई गलत होकर स्वीकार नही है। वादीगण का हिस्सा पूर्ण रूप से विक्रय नही हुआ केवल 4 बीघा का 1/3 हिस्सा ही विक्रय हुआ था व कोई इस्टोपल का सिद्धान्त लागू नही होता है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 06 का जवाब है कि कोई वाद पूर्व में पेश नही हुआ इस कारण रेसज्यूडिकेटा का सिद्धान्त लागू नही होता है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 07 का जवाब है कि गलत होकर स्वीकार नही है कोई रेस ज्यूडीकेटा की तारीफ में यह वाद नही आता है ना ही यह सिद्धान्त लागू होता है। वादीगण का जवाब स्वीकार कर प्रार्थी प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0 का खारिज किया जावे। उभयपक्ष अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 पर बहस सुनी गई बहस के दौरान प्रतिवादी 01 की ओर से अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र के कथनो को दौहराते हुए निवेदन किया कि प्रतिवादी 01 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी का वादपत्र खारिज कराया जाये। वादी ने प्रार्थना पत्र का खण्डन करते हुए अपने जवाबदावे के कथनो को दौहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी प्रतिवादी 01 का प्रार्थना पत्र सिद्ध नहीं होने से खारिज कराया जाये।

प्रतिवादी संख्या 01 के द्वारा न्यायिक दृष्टान्त 2011(3)DNJ(राज.) 1066, 2004 डब्लयूएलसी (राज)(यूसी) पेज 391, 2017(3)डीएनजे(राज.) पेज 1035 प्रस्तुत की जिसका ससम्मान अध्ययन किया। जो इस मामले में चस्पा नहीं होती है।

वादीगण के द्वारा 2010 आरआरडी पेज 159, व 288, 2016 आरआरडी पेज 782 जिसका ध्यानपूर्वक मनन करते हुये अवलोकन किया। जो वादीगण को उनके मामले में चस्पा नहीं होती है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्ताओ की बहस पर मनन् किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का परीक्षण किया। प्रतिवादी संख्या 01 के प्रार्थना पत्र के अनुसार साबिक आराजी नम्बर 3442/1 रकबा 02 बीघा 12 बिस्वा मौजा पुर तहसील व जिला भीलवाडा के साबिक राजस्व रेकार्ड में जो कि मोखम सिंह नैनावटी पुत्र तख्त सिंह नैनावटी से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की जाना प्रकट किया उक्त आराजी नम्बर 3442/1 से नवीन आराजी नम्बर 5575, 5576, 5578 बनना दर्शाया उक्त बिकावनामे के आधार पर तारू पिता रोडा रेगर ने सेटलमेन्ट ऑफिसर भीलवाडा के समक्ष एक वाद प्रस्तुत किया जिसके प्र0सं0 4107/1973

सहायक कलक्टर
भीलवाडा

है, अपने नाम पर दर्ज होना बताते हुए उक्त आराजियात अपने नाम इन्द्राज किये जाने का अनुतोष चाहा गया तत्पश्चात नवीन आराजी नम्बर 5575, 5576, 5578 को वादीगण ने रजिस्टर्ड बिकाव से 14.11.2011 को प्रतिफल लेकर सम्पूर्ण आराजियात बालकृष्ण पुत्र मोतीलाल खोईवाल को विक्रय कर दिया। जो कि पत्रावली पर उपलब्ध रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 14.12.2012 के अवलोकन से वादीगण जो विक्रेता के रूप में व बालकृष्ण खोईवाल क्रेता के रूप में जाहिर होता है उक्तानुसार धारा 63 की उपधारा (1)(Vii) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 में वर्णित प्रावधान के अनुसार विक्रेता कोई भूमि विक्रय कर देता है तो उसके सारे खातेदारी अधिकार निर्वापित होकर क्रेता में सारे खातेदारी अधिकार समाहित हो जाते है, इस प्रकार वादीगण द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से अन्य व्यक्ति को भूमि रजिस्टर्ड बिकाव नामें से विक्रय कर दी तो फिर इस वाद के जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को सिविल न्यायालय से निरस्त कराये बिना किस प्रकार इस वाद के अन्तिम पेरा में वर्णित अनुतोष के अनुसार खातेदारी अधिकार केसे प्राप्त कर सकता है और कर सकते है और यह न्यायालय उन्हे ऐसा अनुतोष केसे प्रदान कर सकता है। रजिस्टर्ड बिकाव नामा वादीगण के द्वारा जब तक सिविल न्यायालय से निरस्त नही करा देते है, तब तक यह राजस्व न्यायालय वादीगण किसी भी तरह से अनुतोष प्रदान करने के लिए सक्षम नही है। इस प्रकार यह वादपत्र विधि में वर्जित होने की श्रैणी में आता है। हालांकि प्रार्थी प्रतिवादी ने अपने आवेदन पत्र में इस अभिकथन को दर्ज नही किया है बल्कि उसने रेस ज्यूडिकेटा का आधार दिया है लेकिन उसके द्वारा वाद पूर्व में कब चला और कब निस्तारित हुआ इसके संबंध में उसके द्वारा कोई अभिकथन दर्ज नही करके बहस में भी इस आपत्ति के सन्दर्भ में कोई तर्क संगत तथ्य नही दर्शाये है। किन्तु माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर द्वारा 2013 (पार्ट 1) आर.एल.डबल्यु(आर.जे.) राज. पेज 81 पर प्रसारित निर्णय से यह सिद्धान्त प्रतिबाधित होता है कि चाहे आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 में वर्णित प्रावधानो में प्रार्थना पत्र पेश नही भी किया गया है तो भी न्यायालय धारा 151 जा0दी0 के तहत अपनी अर्न्तनिहित शक्तियो को प्रयोग करने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत है कि यदि आधारहीन एवं तुच्छ प्रकृति के वाद को चलाने के लिए न्यायालय बाध्य नही है और एक पक्ष को वाद की लम्बी प्रकिया में उलझाये रखने के लिए असहाय नही है। इस तरह वादीगण का यह वाद पत्रावली पर उपलब्ध रजिस्टर्ड बिकावनामें से धारा 63 की उपधारा (1)(Vii) राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत वादीगण के खातेदारी अधिकार निर्वापित होना पाया जाता है इसलिए वादीगण को न्यायिक प्रकिया का दुरूपयोग करने से रोकथाम की जाना न्याय संगत उचित प्रतीत होता है। अतःएवं

:: आदेश ::

अतः प्रतिवादी संख्या 01 का प्रार्थना पत्र 07 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0 स्वीकार किया जाता है। और वादीगण के वाद को नामांजूर किया जाता है। तद्नुसार डिक्री मुर्तिब हो। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

आज दिनांक 17.06.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में निर्णय सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा